Patrika
Tamilnadu Govt decides to recruit Transgender in Police Force

चेन्नई. तमिलनाडु सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य की पुलिस फोर्स में ट्रांसजेंडर नौकरी कर सकेंगे। देश में ओडीशा के बाद तमिलनाडु इस वर्ग को नौकरी देने वाला दूसरा राज्य बन गया है।

महिलाओं की तरह मिलेगी छूट

हालांकि ओडीशा सरकार ने इस वर्ग को जेलों के सुरक्षा विभाग में नौकरी देना का निर्णय किया था। बहरहाल, जयललिता सरकार ने कॉन्सटेबल के 13,137 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए कोटा तय नहीं किया है। पुलिस विभाग ने कहा कि इन पदों पर पुरुष और महिलाओं के साथ ट्रांसजेंडर आवेदन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, फिजिकल फिटनेस के नियमों में भी छूट दी गई है। विज्ञापन में कहा गया है कि महिलाओं के लिए भर्ती के जो नियम व शर्तें हैं वो सभी ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए लागू होंगे। यानि इन्हें नियम में छूट दी जा रही है। फिजिकल फिटनेस, शैक्षणिक योग्यता से लेकर आरक्षण का फायदा महिलाओं की तरह मिलेगा।

पिछले साल सब इंस्पेक्टर की नौकरी पाई

सरकार ने यह फैसला मद्रास हाईकोर्ट के पिछले साल के आदेश के आधार पर लिया। पिछले साल कोर्ट ने एक ट्रांसजेंडर प्रिथिका यशिनी को भर्ती करने के लिए सरकार को आदेश दिया था। उन्हें नौकरी दी गई थी। वो पहली ट्रांसजेंडर पुलिसकर्मी बन गई थी। वहीं, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिसंबर तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि ट्रांसजेंडर वर्ग के लोग बड़ी संख्या में हर बार पुलिस में भर्ती के लिए आवेदन करते रहे हैं लेकिन इनके लिए भर्ती का नियम लागू न होने की वजह से बाद में इन्हें मेडिकल टेस्ट में फेल कर दिया जाता था। वर्ष 2013 में बड़ी संख्या में भर्ती के दौरान ये फेल हो गए थे।

ओडीशा ने पेंशन, राशन देना का नियम बनाया

ओडीशा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने इस वर्ग को आम लोगों की तरह पेंशन और राशन देने का फैसला किया है। इस राज्य में चार हजार से अधिक ट्रांसजेंडर हैं। इनमें से 90 फीसदी गरीबी रेखा से नीचे हैं। इसे देखते हुए इन्हें बीपीएल परिवारों की तरह राशन और पेंशन देने की नीति हाल में बनाई गई थी। इसके तहत न्यूनतम पांच किलो गेहू और चावल देने की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देशभर में लगभग सभी शैक्षणिक संस्थानों ने आवेदन फॉर्म में ट्रांसजेंडर का कॉलम भी रखा है। अब पुरुष और महिला के अलावा तीसरा जेंडर कॉलम होता है।